ई-मेल/फैक्स/शीर्ष प्राथमिकता

संख्याः-157/2020-CX-3

प्रेशक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-**समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।
2-**पुलिस कमिश्नर,**
लखनऊ/गौतमबुद्धनगर
3-समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-3 लखनऊः दिनॉक 29 मार्च, 2020

विषयः कोविड-19 (COVID-19) महामारी के दृष्टिगत घोषित लॉक-डाउन के मध्य औद्योगिक इकाईयों को क्रियाशील रखने, उनके द्वारा मजदूरी का भुगतान करने और बैकिंग करेस्पांडेंट सेवा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉक डाउन घोषित किया गया है। लॉक डाउन के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में निर्गत किये गये आदेशों के साथ निम्नलिखित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है:-

1- लॉक डाउन के कारण औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों को वेतन इत्यादि का नियमित भुगतान करने हेतु सम्बन्धित औद्योगिक इकाईयों के सीमित संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों को एक सीमित अवधि के लिए काम पर आने एवं जाने हेतु समस्त जिलााधिकारियों द्वारा प्रवेश पत्र जारी करने के लिए सम्बन्धित जनपद उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को अधिकृत किया जायेगा और उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

Scanned with CamS

2- यह उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी में घोषित लॉक डाउन के दौरान समस्त औद्योगिक इकाईयां (ईट भट्ठो की इकाईयों को शामिल करते हुए), जिनमें सोशल डिस्टेसिंग के नार्मस का पालन करते हुए, श्रमिकों के नियमित भरण-पोषण का प्रबन्ध सुनिश्चित करते हुए तथा औद्योगिक इकाई परिसर में श्रमिकों की जान-माल एवं स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए क्रियाशील किया जा सकता है। उन इकाईयों को क्रियाशील रखते हुए समस्त जिलाधिकारियों द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेंगी। समस्त जिलाधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इन इकाईयों के संचालन के दौरान औद्योगिक इकाईयों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इन इकाईयों के संचालन के दौरान औद्योगिक इकाईयों द्वारा सोशल डिस्टेसिग का पालन किया जा रहा है। श्रमिकों के नियमित भरण-पोषण तथा उनकी सुरक्षा का पुख्ता इन्तजाम कर लिया गया है।

3- भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020DM-1(A) के बिन्दु-ई में स्पष्ट किया गया है कि बैंकिंग करेस्पांडेंट को भी लॉक डाउन के दौरान निर्विघ्न कार्य सुनिश्चित कराये जाने हेतु पास आदि जारी किये जाएं और बैंकिंग सेवा सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु मध्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0।
2- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
3- निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

Scanned with CamS

::<u>अपील</u>::

सभी प्रतिष्ठान स्वामियों / सेवायोजकों से अपील है कि वर्तमान में कोविड-19 के कारण फैली महामारी के फलस्वरूप इस आपातकालीन स्थिति में किसी भी कर्मकार/ श्रमिक को अपने कारखाने से बाहर न जाने दें। उनके रुकने व खाने-पीने का एवं सैनिटाइजेशन का उचित प्रबंध करें ।

साथ ही इस अस्थाई बंदी अवधि के लिए समस्त नियोजक, कर्मचारियों / कर्मकारों को मजदूरी सहित अवकाश प्रदान करें । हम अपने आसपास रुकने / रहने वाले श्रमिकों का ध्यान रखें एवं समाज व देश के प्रति अपनी अहम जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस महामारी में सरकार की मदद करें।

(बृजेश कुमार सिंह)
सहायक निदेशक कारखाना
नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश

दिनांकः 30 मार्च, 2020

प्रेषक,

सहायक निदेशक कारखाना,उ0प्र0,
सी–119, सेक्टर–18, नोएडा,
जिला–गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

अध्यक्ष,
समस्त औद्यागिक एसोसियेशन्स/
लीगज एडवाइजर्स,
जिला–गौतमबुद्धनगर।

विषयः– **लॉकडाउन अवधि में बन्द कारखानों के श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया सूचनीय है कि श्रम आयुक्त,उ0प्र0, कानपुर महोदय द्वारा लॉकडाउन अवधि में बन्द कारखानों के श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में सूचना निर्धारित प्रारूप **(छायाप्रति संलग्न)** पर दिन–प्रतिदिन प्रातः 10:00बजे दिनांकः 10.04.2020 तक उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है।

उपरोक्त के अनुक्रम में आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने सदस्यों (कारखानेदारों) द्वारा उनके कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के भुगतान के सम्बन्ध में सूचना दिन–प्रतिदिन प्रातः 09:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के वहाट्सप नम्बर–**8755980394** अथवा ई–मेल पता **adf_noida@rediffmail.com** पर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें, ताकि सम्बन्धित सूचना उप निदेशक कारखाना,उ0प्र0, नोएडा सम्भाग, गौतमबुद्धनगर के माध्यम से श्रम आयुक्त,उ0प्र0, कानपुर महोदय को उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सके।

आपका यह सहयोग अत्यन्त आवश्यक है एवं सराहनीय होगा।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(बृजेश कुमार सिंह)
सहायक निदेशक कारखाना,उ0प्र0,
प्रभारी–नोएडा क्षेत्र, गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01–श्रम आयुक्त,उ0प्र0, कानपुर।
02–जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
02–उप निदेशक कारखाना,उ0प्र0, नोएडा सम्भाग, गौतमबुद्धनगर।

(बृजेश कुमार सिंह)
सहायक निदेशक कारखाना,उ0प्र0,
प्रभारी–नोएडा क्षेत्र, गौतमबुद्धनगर।

लॉकडाउन की अवधि में बन्द कारखानों के श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान

क्रमांक	दिनांक	कारखानों की सं0	श्रमिको की सं0	धनराशि
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				